

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला रीवा (म.प्र.)

आदेश

रीवा, दिनांक:- 7 जुलाई /2020

क्रमांक / 622 / प्रवा. कले. / 2020 : मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक / एफ 10-02/ 2020 /17/मेडी-2, भोपाल दिनांक 07.03.2020 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोबल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म. प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / आईडीएसपी / 2020 / 272, दिनांक 24.03.2020 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. / प्र. स. / स्वास्थ्य / सत्रह / मेडि-3 / 596, भोपाल दिनांक 23.03.2020 द्वारा म. प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा सेक्शन 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है।

- 1- जवा तहसील के ग्राम बरहुला सिंगोटोला वार्ड क्र. 05 में पाए गए COVID-19 संक्रमित पॉजिटिव केस के घरो की जानकारी निम्नानुसार है :-

स. क्र.	स्थान का नाम
1	ग्राम पंचायत बरहुला के ग्राम बरहुला सिंगोटोला वार्ड क्र. 04 एवं 05 राजस्व निरीक्षक मण्डल अतरौला तहसील जवा जिला रीवा (म.प्र.)

- 2- इस घर को Epicenter घोषित करते हुए ग्राम पंचायत बरहुला के ग्राम बरहुला सिंगोटोला वार्ड क्र. 04 एवं 05 को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः किया जावेगा।
- 3- कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु म. प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी The Epidemics Diseases COVID-19 Regulation 2020 अंतर्गत उक्त कंटेनमेंट एरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठित किया जाता है :-

क्षेत्र	इंसीडेंट कमाण्डर	राजस्व अधिकारी	पुलिस अधिकारी	जनपद अधिकारी	पी. डब्ल्यू. डी अधिकारी
ग्राम पंचायत बरहुला के ग्राम बरहुला सिंगोटोला वार्ड क्र. 04 एवं 05 राजस्व निरीक्षक मण्डल अतरौला तहसील जवा जिला रीवा (म.प्र.)	श्री संजीव कुमार पाण्डेय अनुविभागीय टण्डाधिकारी अनुभागत्योंथर मो. न. 6264580802	श्री जाहरसिंह ठाकुर तहसीलदार तहसील जवा मो.न. 9993474875	श्री डी.पी.सिंह अनुविभागीय अधिकारी पुलिस डभौरा मो.न. 9993879726	श्रीसंजय सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जन.पंचा.जवा मो.न. 9425169172	श्री अंगिराप्रसाद तिवारी अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग मो. न. 6264050216

क/प030

- 4- कंटेनमेंट प्लान एवं कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु डॉ एन0 के0 पाण्डेय, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जवा मो.न.-9424336978 नोडल अधिकारी रहेगे तथा सहायक नोडल अधिकारी, परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास जवा श्रीमती मालती पाण्डेय मो.न.- 9993535264 रहेगी ।

-:: कंटेनमेंट एरिया ::-

- 1- कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्णरूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा । कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम क्वारेन्टाइन में रहना उचित होगा । संदर्भित कार्यालयीन आदेशों के माध्यम से जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है उसका सही तरीके से क्रियांवयन हो सकेगा । अतः कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा ।
- 2- कंटेनमेंट एरिया को पेरीमीटर कंट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा ।
- 3- कंटेनमेंट एरिया हेतु सी.एम.एच.ओ. द्वारा विशेष रेपिड रिस्पॉन्स टीम / मेडिकल मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा , जो प्राप्त दिशानिर्देश के आधार पर हो ।
- 4- उक्त क्षेत्र के एंट्री एक्जिट पॉइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जाएगी ।
- 5- समस्त वार्डवार फ्रंटलाइन कार्यकर्ता / एपीसेंटर से प्रति टीम 50 घरो का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा में रिपोर्ट डॉ एन0 के0 पाण्डेय, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जवा मो.न.- 9424336978 जो अनिवार्यतः करायेगे, तथा डॉ बसंत अग्निहोत्री जिला टीकाकरण अधिकारी नोडल आफिसर मो. न. 9425185810 से समन्वय स्थापित करेंगे ।
- 6- समस्त टीम COVID-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं COVID-19 संक्रमण की सम्भावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, स्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर आर टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे ।
- 7- समस्त COVID-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम क्वारेन्टाइन कराया जाना अतिआवश्यक है, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके ।
- 8- जिनको होम क्वारेन्टाइन किया गया है , उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष क्र माध्यम से) जबतक की सस्पेक्टेड केस की रिपोर्ट रिजल्ट निगेटिव न आ जाए और रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो, सम्बंधित के फर्स्ट कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम क्वारेन्टाइन में रहना होगा एवं फॉलोअप अतिरिक्त 14 दिन प्रतिदिन रखना होगा ।
- 9- आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत सदिग्ध संक्रमित की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर्ते हुए समस्त सम्बंधितों (सेल्फ डिक्लोरेशन फॉर्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः सम्पर्क किया जाकर उन्हें भी होम क्वारेन्टाइन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुए सम्पर्क एवं ट्रेसिंग की रिपोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित करे ।
- 10- जनपद के जोनल अधिकारी क्षेत्र का सेनेटाइजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा ।
- 11- सस्पेक्टेड केस आर, आर टी / एम. एम. यू. द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आइसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मॉस्क उपलब्ध कराते हुए हैंड हार्डजीन और पर्सनल हार्डजीन के प्रोटोकॉल पालन कराना सुनिश्चित करे ।
- 12- समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकॉल पालन कराना सुनिश्चित करे ।



(डॉ0 इलैयाराजा टी.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला - शिवा (म. प्र.)
कृ०प०३०

रीवा, दिनांक 17 जुलाई /2020

622 /प्रवा. कले. /2020

प्रतिनिधि:-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल ।
5. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल ।
6. आयुक्त, रीवा सम्भाग रीवा की ओर सूचनार्थ ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ ।
8. पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा जोन रीवा की ओर सूचनार्थ ।
9. पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. अपर जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा ।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग त्योंथर जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
14. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास रीवा ।
15. जिला आपूर्ति अधिकारी जिला रीवा ।
16. नगर पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
17. स्टेनो टू कलेक्टर / स्टेनो टू अपर कलेक्टर रीवा की ओर सूचनार्थ ।
18. सहायक संचालक, जनसम्पर्क रीवा की ओर प्रकाशनार्थ ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला - रीवा (म. प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला रीवा (म.प्र.)

आदेश

रीवा, दिनांक:- 17 जुलाई /2020

क्रमांक / 623/प्रवा. कले. / 2020 : मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक / एफ 10-02/ 2020 /17/मेडी-2, भोपाल दिनांक 07.03.2020 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोबल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संवाचनालय स्वास्थ्य सेवाए म. प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / आईडीएसपी / 2020 / 272, दिनांक 24.03.2020 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. / प्र. स. / स्वास्थ्य / सत्रह / मेडि-3 / 596, भोपाल दिनांक 23.03.2020 द्वारा म. प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71(2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये जा चुके हैं। मैं इलैया राजा टी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रीवा म. प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा सेक्शन 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ।

COVID-19 महामारी की रोकथाम कोरोना पॉजिटिव मरीज को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम बरहुला सिंगोंटोला वार्ड क्र. 04 एवं 05 रा. नि.म.अतरैला तहसील जवा को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाता है। क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य सम्पादन हेतु निम्नानुसार अधिकारियों / कर्मचारियों के कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं:-

सर्वेक्षण दल

दल क्र.	नाम	पद	मो. न.	वार्ड क्र.
1	श्री सुनील तिवारी	रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बरहुला	8349216459	वार्ड क्र 04
	श्रीमती पंचवटी वर्मा	आशा कार्यकर्ता बरहुला	8819077231	
	श्रीमती शीमा तिवारी	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बरहुला	8821862124	
	श्री दिनेश कुमार तिवारी	सहा.शिक्षक प्रा.शाला बरहुला	8821840740	
2	श्री गोविन्द प्रसाद तिवारी	सचिव ग्रा.पंचायत बरहुला	9179082246	वार्ड क्र 05
	श्रीमती शीलू तिवारी	आशा कार्यकर्ता बरहुला	9399976578	
	श्रीमती उर्मिला तिवारी	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बरहुला	9229804588	
	श्री सन्तकुमार तिवारी	सहा.शिक्षक प्राथ.शाला बरहुला	7566139404	

पर्यवेक्षण दल

नाम	पद	कार्य
श्री गुलाब सिंह मो.न.- 6263351277	सेक्टर सुपरवाइजर सेक्टर कल्याणपुर	वार्ड क्र 04 एवं 05

कृ०प०३०



रिजर्व दल

दल क्र.	नाम	पद	मो. न.
1	श्रीमती प्रतिमा तिवारी	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बरहुला निविहनटोला	9752567179
2	श्रीमती गेंदकली	आशा कार्यकर्ता बरहुला	9713067440
3	श्रीमती ललिता तिवारी	आशा सहयोगी बरहुला	7898996162

उपरोक्त कार्यवाही हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जवा नियंत्रण कक्ष रहेगा ! नियंत्रण कक्ष की सम्पूर्ण व्यवस्था डॉ एन0 के0 पाण्डेय, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, जवा मो.न.-9424336978 करेगे एवं डॉ.अग्निवेश मिश्रा, एम.ओ.सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जवा मो.न.-6266257933 सघन सर्वेक्षण मे प्राप्त आकडो का संकलन करेगे, तथा उक्त कार्य का प्रशिक्षण दिनांक 18.07.2020 को जनपद पंचायत जवा के सभाकक्ष मे दोपहर 12:00 बजे से आयोजित होगा। प्रशिक्षण खण्ड चिकित्सा अधिकारी जवा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जवा द्वारा दिया जावेगा।



प्रवा. कले. /2020

(डॉ0 इलैयाराजा टी.)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला - रीवा (म. प्र.)

रीवा, दिनांक:- 17 जुलाई /2020

1. मुख्य सचिव, गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, रीवा सम्भाग रीवा की ओर सूचनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग त्योंथर/ जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. स्टेनो टू कलेक्टर / स्टेनो टू अपर कलेक्टर रीवा की ओर सूचनार्थ।
9. सम्बंधीजन श्रीकी ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला - रीवा (म. प्र.)